न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली (कोटपूतली–बहरोड़)

प्रार्थना पत्र स0:–181/2025 पीठासीन अधिकारी–ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)

राज्य सरकार जरिये, पुष्पेन्द्र सिंह चौधरी, प्रर्वतन अधिकारी, कोटपूतली–बहरोड़

––प्रार्थी

बनाम

श्री ओमप्रकाश शर्मा, पंडित जी के प्रसिद्ध समोसें होटल बहरोड़, निवासी गंदा नाले के पास बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़।

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अप्रार्थी के तहत जब्त शुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा एचपीसीएल एवं आईओसीएल मय 8.2 किग्रा. को राजसात करने बाबत्।

उपस्थित:–

1. पैरोकर रसद प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी उपस्थित ।

निर्णय

दिनांक

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र सिंह चौधरी द्वारा न्यायालय हाजा में इस आशय का पेश किया है कि दिनांक 09.10.2025 को घरेलू गैस की अवैध उपयोग/कालाबाजारी होने की लिखित शिकायत पर श्रीमान जिला रसद अधिकारी कोटपूतली–बहरोड़ तथा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ से प्राप्त निर्देशानुसार अधोहस्ताक्षकर्ता एवं श्री विश्राम गुर्जर के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर पंडित जी के प्रसिद्व समोसें होटल गंदा नाला के पास बहरोड़ पर श्री ओमप्रकाश द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग करते पाये गयें। जिससे मौके पर बहरोड़ इण्डेन गैस के प्रति निधी श्री शशिकान्त शर्मा का बुलाकर उक्त सिलेण्डरों का वनज करवाया गया। इस प्रकार श्री ओमप्रकाश शर्मा द्वारा घेरलू गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग कर स्वयं के लाभ प्राप्त करने के हित को स्पष्ट करता है जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश, 2000 के उपबन्धों का स्पष्ट उल्लंघन है। मौके पर उक्त आदेश का उल्लंघन स्पष्ट पाये जाने पर 03 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा मय 8.2 किग्रा. एलपीजी, को जब्त सरकार किया गया एवं सुरक्षा की दृष्टि से मैसर्स बहरोड़ इण्डेन गैस एजेन्सी के मैनेजर शशिकान्त की सुपुर्दगी में नियमानुसार वजन करवाकर दिया गया। फर्द जब्ती फर्द सुपर्दगी एवं फर्द मौका जॉच रिपोर्ट के साथ कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटपूतली–बहरोड़ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। अत: श्रीमान से निवेदन है कि 3 घेरलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा HPCL एवं IOCL मय 8.2 किग्रा. एलपीजी, को राजसात करने की

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

कृपा करें। चूंकि एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु है। अतः धारा 6ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश भी प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैराकार ने जब्त गैस सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धार–6ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान किये गये। अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आया तथा जबाब पेश किया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. पैरोकार सरकार जिला रसद अधिकारी की एकल बहस सुनी गई। जिसमें प्रार्थी सरकार पैरोकार ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. घरेलू गैस सिलेण्डर को रेगुलेटर एवं नलिका के माध्यम से जोड़कर व्यवसायिक उपयोग कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लघंन किया है तथा धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध है। जिस पर 03 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा मय 19 किग्रा एलपीजी को जब्त किया गया जिसे राजसात करने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि दीपावली के त्यौहार पर कमर्शियल सिलेण्डर की सप्लाई नहीं मिलने के कारण घेरलू सिलेण्डर का प्रयोग किया गया आगे से एसी कोई गलती दुबारा नही दोहराने का निवेदन किया गया।
4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध फर्द मौका जब्ती का अवलोकन किया गया। प्रार्थी सरकार पैरोकार के आरोप अनुसार श्री ओमप्रकाश शर्मा पंडित जी के प्रसिद्व समोसें होटल बहरोड़ निवासी गंदा नाले के पास बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ द्वारा एल.पी.जी. घेरलू सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लघंन किया किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। फलस्वरूप जब्तशुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा मय 8.2 किग्रा एलपीजी को राजसात किया जाना उचित समझते है।
5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रकरण में अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 03 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा मय 8.2 किग्रा एलपीजी, को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी कोटपूतली–बहरोड़ को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त सिलेण्डर के निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।
6. निर्णय प्रति जिला रसद अधिकारी कोटपूतली–बहरोड़ को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।
7. निर्णय आज दिनांक .... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली बहरोड़